मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05/05/2017

क्र. एफ 16 - 01/2017/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स जिओमिन मेटालॉय प्रा.लि. द्वारा औ.क्षे. हरगढ़ तहसील-सिहोरा, जिला जबलपुर में प्लांट एवं मशीनरी में लगभग रू. 965.00 करोड़ के पूंजी निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापना संबंधी प्रस्ताव को बडी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत निम्नानुसार विशेष सुविधायें दी जावें:-

1. **उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत -**
   (i) **भूमि आवंटन में रियायत-** औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़, जिला जबलपुर की 80 हेक्टेयर भूमि का प्रचलित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर आवंटन। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर द्वारा प्रति वर्गफीट विकास शुल्क वास्तविक व्यय के आधार पर गणित कर उसमें 40 प्रतिशत की छूट दी जावे।
   (ii) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 7 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत की सीमा तक शर्तों के अध्याधीन दिया जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।
   (iii) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 9 वर्षों हेतु दी जावें ।
   (iv) **विद्युत शुल्क पर छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक शर्तों के अध्याधीन विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
   (v) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।
   (vi) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।
2. **अन्य सुविधाएं-**
   1. **विद्युत टेरिफ में रियायत-** मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 01.04.2017 अनुसार वर्ष 2017-18 हेतु जारी विद्युत टेरिफ आदेश में रूपये 1 प्रति यूनिट अथवा एनर्जी चार्जेस में 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, दी गई है। उक्त टेरिफ आदेश में निहित प्रावधान अनुसार कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना को विद्युत संयोजन दिनांक से 5 वर्ष के लिये उक्त छूट का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।
   3. जीएसटी प्रणाली लागू होने पर, कंपनी की परियोजना को वेट एवं सीएसटी की सहायता समानुपातिक रूप से निरंतर देय होगी। कुल सहायता राशि इकाईयों द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

पृ. क्र. एफ 16 - 01/2017/ए-ग्यारह:: **भोपाल, दिनांक 05 /05/2017**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
5. कलेक्टर, जिला जबलपुर ।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लि., जबलपुर ।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स जिओमिन मेटालॉय प्रा.लि., ई-12, गार्डन विला, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर- 482002

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग